

16/4/26

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~नोट प्रैस~~ में खारिज
किए जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो । उभयपक्ष जाए किये ले वाद
लाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे ।

५